

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1194 / 2014 / जयपुर

मैसर्स कमल एण्ड कंपनी,
एम.आई. रोड, जयपुर
बनाम

.....अपीलार्थी

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से,

दिनांक : 02 / 04 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 18/अ.प्रा.-II/आरवीएटी/जयपुर/2013-14 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 31.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, विशेष वृत-राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.01.2013 के जरिये अभिनिर्धारित कर एवं ब्याज राशि की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 02.02.2011 को किये जाने पर पाया गया था कि अपीलार्थी द्वारा ग्राहकों से लॉजिस्टिक चार्ज एवं एक्सटेण्डेड वारण्टी के रूप में वसूल की गई राशि वाहन की डिलीवरी से पूर्व वसूल की गई राशि होने के कारण 'विक्रय मूल्य' का हिस्सा होने के कारण इस पर कर का दायित्व बनता है। फलतः व्यवहारी को नोटिस जारी कर उक्त मदों में वसूल की गई राशि लॉजिस्टिक चार्ज रुपये 20,87,405/- तथा एक्सटेण्डेड वारण्टी राशि रुपये 1,84,950/- कुल रुपये 22,72,355/- पर 15 प्रतिशत से कर रुपये 3,40,853/- ब्याज रुपये 95,439/- का आरोपण करते हुए धारा 61 के अंतर्गत शास्ति रुपये 6,81,706/- भी आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील कर व ब्याज के बिन्दु पर अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

31

निरन्तर.....2

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रारम्भ करते हुए यह अभिवाक किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में प्रस्तावित करारोपण मदों यथा लॉजिस्टिक चार्जेज एवं एक्सटेण्डेड वॉरण्टी के टर्नओवर का उल्लेख नहीं किया है तथा करारोपण से छूट गई मदों पर कर निर्धारण धारा 25 के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए था परन्तु वर्तमान प्रकरण में कर निर्धारण धारा 23 के अन्दर सम्पूरित किया गया है, जो कि अविधिसम्मत है, अतः उन्होंने कर निर्धारण आदेश को त्रुटिपूर्ण होना बताया। इसके अलावा उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के ही प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01.02.2013 का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि लॉजिस्टिक चार्जेज एवं एक्सटेण्डेड वॉरण्टी के बिन्दु पर अपीलार्थी की प्रारम्भिक आपत्ति का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निस्तारण करने के पश्चात ही कर निर्धारण सम्पूरित किया जावे।
4. उन्होंने आगे यह कथन किया कि अपीलार्थी मोटर व्हीकल, स्पेयर पार्ट्स एवं एसेसरीज का व्यापारी है तथा कारों की स्थानीय हैंडलिंग एवं डिलीवरी के क्रम में उपभोक्ताओं को सेवा भी प्रदान करता है जिस हेतु अपीलार्थी सर्विस टैक्स का कर निर्धारिती भी है। अपीलार्थी टाटा मोटर लि. के द्वारा निर्धारित एक्स शोरूम प्राइस पर वाहन बेचने हेतु अधिकृत है। साथ ही कंपनी के नियम के अनुसार टाटा ब्रांड की कारों व अन्य वाहनों की स्थानीय हैंडलिंग एवं डिलीवरी हेतु "लॉजिस्टिक चार्ज" वसूल करने हेतु अधिकृत है तथा इस लॉजिस्टिक चार्ज पर सर्विस टैक्स जमा कराया जाता है, वहीं वाहनों की एक्स शोरूम कीमत पर वैट चुकाया गया है। अपीलार्थी द्वारा लॉजिस्टिक चार्जेज के संबंध में किया गया कार्य मात्र सेवा प्रदान करने का है तथा एक्सटेण्डेड वॉरण्टी संबंधी सेवा सामान्य वॉरण्टी अवधि के अलावा अतिरिक्त अवधि हेतु वॉरण्टी सेवा प्रदान करने के संबंध में है। उक्त दोनों गतिविधियों में वैट अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री की परिभाषा के अनुसार माल का सम्पत्ति के रूप में हस्तांतरण नहीं हुआ है, अतः इन पर कर का कोई दायित्व नहीं बनता है। यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि सर्विस टैक्स एवं वैट का भुगतान mutually exclusive है तथा ऐसी स्थिति में मूल्य परिवर्धित कर वस्तुओं के मूल्य पर देय होगा न कि उनके साथ उपलब्ध करवायी गयी सेवा के भाग पर।
5. उनका यह भी कथन है कि मोटर वाहनों पर कर की दर दिनांक 08.03.2011 तक 14 प्रतिशत थी तथा उसके पश्चात कर दर 15 प्रतिशत हो गई थी, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2010-11 में विवादित लॉजिस्टिक चार्ज एवं एक्सटेण्डेड वॉरण्टी की समस्त राशि पर 15 प्रतिशत की दर से करारोपण कर दिया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। उनका यह भी कथन है कि लॉजिस्टिक चार्जेज की वास्तविक राशि रुपये 17,44,738/- थी तथा एक्सटेण्डेड वॉरण्टी की राशि रुपये

31

1,84,950/- थी, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लॉजिस्टिक चार्ज की राशि 2087405/- मानी है जो कि सही नहीं है। अपने इस कथन के समर्थन में उन्होंने एक विस्तृत गणना शीट प्रस्तुत की। अपने उक्त कथनों की निरन्तरता से उन्होंने बताया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखने में विधिक भूल कारित की गई है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया तथा कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को विधिवत रूप से नोटिस जारी किया गया था परन्तु अपीलार्थी द्वारा उसका कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं किया गया, अतः जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतः उचित व विधिसम्मत है। उनका यह भी कथन है कि धारा 23 या 24 के अंतर्गत कर निर्धारण करते हुए भी धारा 61 के अंतर्गत शास्ति आरोपित की जा सकती है, अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी पर जो करारोपण किया है, वह विधिसम्मत है तथा अपने इन अभिकथनों के प्रकाश में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने तथा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।
7. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा उठाई गई प्रारम्भिक आपत्ति का निस्तारण किया जाता है कि क्या धारा 23 के अंतर्गत कर निर्धारण करते हुए भी धारा 61 के अंतर्गत शास्ति आरोपित की जा सकती थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि धारा 61 की शास्ति अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त की जा चुकी है तथा कर निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार विवादित नहीं किया गया है, अतः यह प्रारम्भिक आपत्ति अब सारहीन हो गई है जिस पर अब कोई व्यवस्था दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा यह आपत्ति खारिज की जाती है।
8. द्वितीयतः, अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेशित किया गया है कि कर निर्धारण करने से पूर्व लॉजिस्टिक चार्ज एवं एक्सटेण्डेड वॉरण्टी पर कर देयता के संबंध में व्यवहारी की प्रारम्भिक आपत्ति का निस्तारण किया जावे। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रश्नगत कर निर्धारण आदेश वर्ष 2010-11 दिनांक 17.01.2013 को ही पारित किया जा चुका था जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट पिटीशन संख्या 1145/2013 दिनांक 01.02.2013 को निर्णीत करते हुए यह निर्देशित किया है कि :-

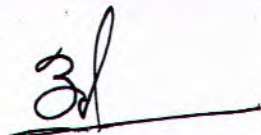


निरन्तर.....4

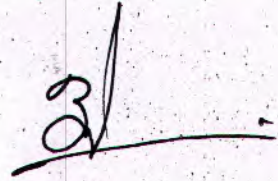
"5. The objection, that turn over relating to 'extended warranty' and 'logistic charges' is not subject to tax, should be taken initially before the same authority, who has issued notice to petitioner. The apprehension of petitioner appears to be that although this is purely a legal question and should be decided as a preliminary issue, but assessing officer will not decide it as a preliminary issue and will decide along with main case. Since, prima facie, it appears to be a legal question and in case the objection is allowed, then notice is liable to be consigned to record or discharged, therefore, it will be proper for the concerned authority to hear and decide this question first as a preliminary issue.

6. Consequently, the writ petition is disposed of. It is directed that in case, such an objection is taken by petitioner before the concerned authority, then the same will be heard and decided first as a preliminary issue before passing any final order, in pursuance of impugned notices. It is made clear that in case, any adverse order is passed, then it will be open for the petitioner to challenge the same before appropriate forum, in accordance with law."

9. स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश जारी किये जाने से पूर्व ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका था, अतः उसके स्तर पर इस प्रारम्भिक आपत्ति का निस्तारण किया जाना संभव नहीं था। चूंकि अब यह प्रकरण कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुआ है अतः इस बिन्दु पर विधिनुसार निर्णय किया जाता है। उल्लेखनीय है कि लॉजिस्टिक चार्जेज के बिन्दु पर राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स एम.जी. मोटर्स अलवर बनाम वा.क.अ. अपील संख्या 1142/2012/अलवर निर्णय दिनांक 31.03.2014 तथा मैसर्स मरूधर मोटर्स जोधपुर बनाम वा.क.अ. अपील संख्या 595/2013/जोधपुर निर्णय दिनांक 05.01.2015 के प्रकरणों में यह निर्णीत किया गया है कि 'लॉजिस्टिक चार्जेज' विक्रय मूल्य का हिस्सा होने के कारण इन पर कर का दायित्व बनता है। अतः उक्त न्यायिक निर्णयों के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत 'लॉजिस्टिक चार्जेज' विक्रय मूल्य का हिस्सा होने के कारण इन पर किया गया करारोपण विधिसम्मत है।
10. जहां तक द्वितीय बिन्दु 'एक्सटेण्डेड वॉरण्टी' पर करदेयता का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सामान्यतः किसी उत्पाद या मोटर वाहनों की बिक्री के समय एक निश्चित समयावधि जो सामान्यतः एक वर्ष के लिये होती है, के लिये उस उत्पाद में खराबी आ जाने की दशा में उसके रिप्लेसमेंट/रिपेयरिंग आदि की "वॉरण्टी" विनिर्माता की ओर से प्रदान की जाती है। परन्तु कई बार इन विनिर्माताओं/विक्रेताओं द्वारा कुछ अतिरिक्त चार्जेज लिये जाकर सामान्य वॉरण्टी अवधि से अधिक समय के लिये भी वॉरण्टी दी जाती है जिसे extended warranty कहा जाता है। चूंकि 'एक्सटेण्डेड वॉरण्टी' माल की बिक्री के प्रतिफल के रूप में प्राप्त राशि नहीं है, अतः इसे धारा 2(36) के अंतर्गत विक्रय मूल्य की परिभाषा से आच्छादित नहीं माना जा सकता है जब तक कि विक्रय बिल में इसका समावेश न हो।



11. ऊपर उद्धरित न्यायिक निर्णयों एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वसूल किये गये लॉजिस्टिक चार्जेज की राशि विक्रय मूल्य की परिभाषा के अन्तर्गत विक्रय मूल्य का भाग है। परन्तु इसकी वास्तविक राशि एवं कर दर के संबंध में अपीलार्थी द्वारा आक्षेप किया गया है अतः इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि लॉजिस्टिक चार्जेज की वास्तविक राशि की सही गणना कर उस पर आलोच्य अवधि में प्रचलित कर दर के अनुसार कर एवं ब्याज का आरोपण करे। जहां तक extended warranty का प्रश्न है, इससे प्राप्त राशि तभी विक्रय मूल्य का हिस्सा होगी जब इसे बिक्री बिल में प्रभारित किया गया हो, अतः इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी के अभिलेख से यह सुनिश्चित करे कि क्या यह राशि बिक्री बिल में चार्ज की गई थी अथवा पृथक से ली गई। यदि यह बिक्री बिल का हिस्सा है तो इस पर नियमानुसार कर एवं ब्याज का आरोपण करे।
12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।
13. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य